राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2193/2015

गिरराज प्रसाद सुमन

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोटा।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.04.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : अनुपस्थित
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने 27 वर्ष की सेवा दिनांक 23.08.2003 को पूर्ण कर ली थी। अतः अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 23.08.2003 से प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 27.08.2007 से स्वीकार किया गया। अपीलार्थी ने उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:–

> " It is, therefore, most humbly prayed that this Appeal may kindly be allowed, called for and examined the entire record of the case and the respondents may kindly be directed to grant benefit of fixation and selection scale of 27 years of service in the pay scale of 5200-20200 w.e.f. 23.8.2003 with all consequential benefits and further to pay entire arrear thereof with interest @ 18% p.a. from due date to the date of actual payment.
>
> Any other order or direction, this Hon'ble Court may deem fit and proper be also passed in favour of the appellant."

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा 27 वर्ष की सेवा दिनांक 23.08.2003 को पूर्ण कर ली गई थी। उन्होंने यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी को दिनांक 17.05.2000 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। उसके पश्चात दिनांक 21.05.2004 को उन्होंने पुनः सेवा में उपस्थिति दी, जिस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर द्वारा आदेश

दिनांक 09.07.2004 के द्वारा अपीलार्थी को 4 वर्ष 3 दिन की अवधि को नो वर्क नो पे के आधार सेवा में शुन्य काल होना माना है।

3. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी अनिवार्य सेवानिवृत्त होने के पश्चात पुनः सेवा में आया है और मध्य की अवधि को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा शुन्य काल माना गया है, जिस आदेश को अपीलार्थी ने किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी है। अपीलार्थी को चूंकि 4 वर्ष 3 दिन की अवधि को सेवा में शुन्य काल होना गया है, इसके आधार पर अपीलार्थी के तृतीय चयनित वेतनमान की अवधि बढ़ाई गई है, जिसमें कोई त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है।

4. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)